


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1903]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 2013/श्रावण 26, 1935

No. 1903]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 2013/SHRAVANA 26, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2013

का. आ.2477(अ).—यतः, मै. इंडस जीन एक्सप्रेसिंस लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में ग्राम कोडूर एवं सेट्टेपल्ली, मंडल चिलामाथुर, जिला अनंतपुर में जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 596(अ) दिनांक 18 मार्च, 2011 में उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.53 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. इंडस जीन एक्सप्रेसिंस लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.92 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.92 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 11.45 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	जिला का नाम	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)			(3)	(4)
1.	अनंतपुर	चिलामाथुर	कोडूर	157-6	0.92
				कुल	0.92 हेक्टेयर
				उपर्युक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का नया कुल क्षेत्रफल	11.45 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ. 1/3/2010-एसईजेड]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2013

S.O. 2477(E).—Whereas, M/s. Indus Gene Expressions Ltd., a private company, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Biotechnology at Kodur and Settippalli villages, mandal Chilamathur, District Anantapur in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified the areas of 10.53 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 596(E) dated 18th March, 2011;

And, whereas, M/s. Indus Gene Expressions Ltd, has now proposed to include an area of 0.92 hectares to the above Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 0.92 hectares as part of the above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 11.45 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE

Serial No.	Name of the district	Name of the mandal	Name of the village	Survey Number	Area (in Ha)
(1)	(2)			(3)	(4)
1.	Anantapur	Chilamathur	Kodur	157-6	0.92
				Total	0.92
				Grand Total Area of SEZ after above addition	11.45 Hectares

[F. No. F. 1/3/2010-SEZ]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.